

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर




आदेश

इस कार्यालय के सेवानिवृत्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 13.02.19 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-

क्रम	नाम व्याख्याता श्री / श्रीमती / सुश्री	पद एवं पदस्थापन स्थान राउमावि / राबाउमावि	संशोधन
01	अशोक कुमार वैष्णव	व्याख्याता-इतिहास नागावाडा-बागीदौरा-बांसवाड़ा	क्रम संख्या 10 कॉलम संख्या 02 पर नाम अशोक कुमार के स्थान पर अशोक कुमार वैष्णव संशोधित पढा जावें।
02	धर्मसिंह रावत	व्याख्याता-इतिहास जारागा-बसेडी-धौलपुर	क्रम संख्या 34 कॉलम संख्या 02 पर नाम धर्मसिंह के स्थान पर धर्मसिंह रावत संशोधित पढा जावें।
03	कैलाश प्रसाद शर्मा	व्याख्याता-इतिहास बीछा-लालसोट-दौसा	क्रम संख्या 80 कॉलम संख्या 02 पर नाम कैलाश प्रसाद के स्थान पर कैलाश प्रसाद शर्मा संशोधित पढा जावें।
04	दुर्गा शंकर पालीवाल	व्याख्याता-इतिहास सेमल-राजसमन्द	क्रम संख्या 38 कॉलम संख्या 02 पर नाम दुर्गा शंकर के स्थान पर दुर्गा शंकर पालीवाल संशोधित पढा जावें।


आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य / संस्था / सी-2 / सेनि / इति-वाणि / 31853 / 19-20
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक- 12-03-2020

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-माध्यमिक,
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)स्कूल शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित संस्था / प्रधानाचार्य / सम्बन्धित व्याख्याता
- 7 रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर